अपील/एलआर/4231/2004/धौलपुर
अजबसिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी ,सदस्य

<u>उपस्थितः</u>–

श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक अपीलांट।

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीना, उप राजकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u> दिनांक 27 जून,2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, अपील सं0 15/2001 बउनवान अजबसिंह बनाम सरकार में भू प्रबन्ध आधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के निर्णय दिनांक 18-06-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- अपील के संक्षिप्त तथ्यों अनुसार राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम, 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 1140 मिन रकबा 3 बीघा वाके कुसेड़ा दिनांक 24-0-1985 को अपीलांट अजबसिंह को आवंटित हुआ था आवंटी द्धारा आवंटित भूमि पर आवंटन वर्ष से कब्जा देने के वर्ष से 2 वर्ष के अन्दर समस्त रकबा पर काश्त नहीं की है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किया जावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया लेकिन अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया परन्तु बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय पैरोकार सरकार की बहस सुनकर दिनांक 21-6-2001 को प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अजबसिंह को ख0 नं0 1140 रकबा 3 बीघा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का दिनांक 24-9-1985 को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया। जिस आदेश दिनांक के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर में अपील पेश की गई जो दिनांक 18-6-2004 को खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का आदेश दिनांक 21-6-2001 को यथावत रखा गया। परीक्षण न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के आदेश दिनांक 18-6-2004 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील मण्डल में प्रस्तुत की है। 3- विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। 4- अभिभाषक अपीलांट ने बहस व अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलांट को ग्राम कुसेड़ा में स्थित ख0 नं0 1140 मिन रकबा 3 बीघा का आवंटन विधिवत् रूप से किया गया था तथा वक्त आवंटन से ही अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काश्त कर रहे हैं। परीक्षण न्यायालय का यह कथन कि अपीलांट अजबसिंह ने आवंटित भूमि पर आवंटन वर्ष से कब्जे देने के वर्ष के 2 वर्ष के अन्दर समस्त रकबा पर काश्त नहीं की है, गलत अंकन किया है जबकि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की कोई अवहेलना नहीं की गई है। इसलिए हर दो विचारण एवं परीक्षण न्यायालय के निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आवंटन आदेश बहाल रखा जावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– इसके विपरीत विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवंटी अजबसिंह द्धारा आवंटित रकबे पर आवंटन नियमों के अनुसार 2 वर्ष में समस्त रकबा पर काश्त करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। अपीलांट की वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं है तथा आराजी बंजड़ पड़ी हुई है। आवंटी ने आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। परीक्षण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि विद्वान अपील अधिकारी ने भी अपने निर्णय दिनांक 18–6–2004 में की गयी है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित व कानून सम्मत है। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट खारिज की जावे। उन्होंने अपने समर्थन में 2013 आर.आर. टी. (1) पेज 192 की नजीर पेश की। 6– विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गयी एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में अंकित है कि उपखण्ड अधिकारी द्धारा या तहसीलदार द्धारा निरसन नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्व–प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की जिला कलक्टर को शक्ति होगी। यदि आवंटन कपट या दुर्व्यप्रदर्शन के द्धारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भंग किया हो। परन्तु किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला ऐसा कोई भी ओदश ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का एक अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियम–14 आवंटन की शर्तो में शर्त सं0 3 में अंकित है कि आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में, परन्तु तहसीलदार द्धारा यह कालावधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, यदि अदृष्ट कारणों से जिन पर आंवटिती का कोई नियंत्रण नहीं था, यह अनुबद्ध कालावधि के भीतर भूमि जोतने में असमर्थ रहा हो। 7– प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटिती को सुनवाई का अवसर दिया गया है। 8– आवंटिती द्धारा आवंटन की शर्तो की पालना में प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र को जोत करने वास्ते कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार द्धारा यह कालावधि भी नहीं बढ़ायी गयी है। रिपोर्ट पटवारी हल्का जसपुरा दिनांक 20–11–2000 में अंकित है कि गैर खातेदार के रूप में होने के बाद मुताबिक खसरा गिरदावरी प्रारम्भिक तीन वर्षो में नियमित रूप से काश्त कार्य नहीं होने के कारण आवंटन की शर्तो की पालना पूर्ण नहीं होती है। अतः यह सिद्ध है कि आवंटिती द्धारा भूमि आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 21–6–2001 में लिखा है कि अप्रार्थी अजबसिंह पुत्र नारायनसिंह को ख0 नं0 1140 रकबा 3 बीघा स्थित ग्राम कुसेड़ा का दिनांक 24–9–1985 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है तथा आराजी सिवायचक दर्ज की जाती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। इसलिए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के निर्णय दिनांक 21-6-2001 तथा भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्धारा पारित आदेश दिनांक 18-6-2004 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। 9- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर का निर्णय दिनांक 21-6-2001 भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्धारा पारित आदेश दिनांक 18-6-2004 यथावत रखे जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (सुरेन्द्र माहेश्वरी) सदस्य	